

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-: आदेश :-

ज्ञापांक:- 7/एम०ई०-401-01/2022

पटना, दिनांक:-.....

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या--4685, दिनांक--25.06.2003, अधिसूचना संख्या--1802, दिनांक--23.03.2006, संकल्प संख्या--7566, दिनांक--14.07.2010 एवं परिपत्र संख्या--10936 (वि०), दिनांक--27.11.2014 एवं विभागीय आदेश संख्या 1349 दिनांक 07.04.2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित कार्यालय परिचारी (पदचर) संवर्ग के निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका 05 के अनुसार वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम/जन्म तिथि	पदस्थापित कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	देय वित्तीय उन्नयन के संबंध में अनुशंसा
1	2	3	4	5
1.	मो० वजीर मंसूरी, 18.08.1965	राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र०), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19.08.2014	दिनांक 19.08.2024 से वेतन स्तर-2 (ग्रेड-पे 1900) में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
2.	श्री सुनील दत्त सिंह 21.08.1965	राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र०), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	20.08.2014	दिनांक 20.08.2024 से वेतन स्तर-2 (ग्रेड-पे 1900) में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
3.	श्री बेदानन्द झा 05.05.1967	राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र०), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19.08.2014	दिनांक 19.08.2024 से वेतन स्तर-2 (ग्रेड-पे 1900) में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
4.	श्री राम चरण मंडल 04.09.1965	राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र०), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	22.08.2014	दिनांक 22.08.2024 से वेतन स्तर-2 (ग्रेड-पे 1900) में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
5	श्री मृणाल कुमार 05.01.1966	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त भागलपुर अंचल-1, भागलपुर	19.08.2014	दिनांक 19.08.2024 से वेतन स्तर-2 (ग्रेड-पे 1900) में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।

6	श्री नवल कुमार 16.04.1967	राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19.08.2014	दिनांक 19.08.2024 से वेतन स्तर-2 (ग्रेड-पे 1900) में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
7	श्रीमती प्रमिला देवी 01.04.1970	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त मधेपुरा अंचल, मधेपुरा	11.01.2012	दिनांक 11.01.2022 से वेतन स्तर-2 (ग्रेड-पे 1900) में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।

2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप सभी कार्यालय परिचारी (पदचर) को वेतन नियतीकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2003, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 2010 तथा पत्रांक-10936 (वि०), दिनांक-27.11.2014 निहित प्रावधानानुसार होगा।

3. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप सभी कार्यालय परिचारी (पदचर) के वेतन निर्धारण के क्रम में कार्यालय प्रधान इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है तथा इनके विरुद्ध कोई आरोप लंबित नहीं है।

4. उपर्युक्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड-पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित कर्मों को प्रदान की गई वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

5. प्रस्ताव में राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्य कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक-7/एम०ई०-401-01/2022 1099

पटना, दिनांक:- 05/03/25

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०)/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/राज्य-कर अपर आयुक्त, (प्र०), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र०), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, भागलपुर अंचल-1, भागलपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त मधेपुरा अंचल, मधेपुरा एवं आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कार्यालय प्रधान अपने स्तर से संबंधित कर्मों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव